...प्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

प्रमोद मिश्रा एड.
द्वारा पेश 7-8-14

489

R-2774-II/14

सुरैया खातून पत्नी हाजी मोहम्मद अली उम्र 67 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी ग्राम बिजुरी वार्ड नं-10 तहसील कोतमा जिला अनूपपुर म0प्र0

451
7-8-14

---निगरानीकर्ता

बनाम्

राधाबाई पत्नी गोकुल बढ़ई (मृत) जरिए वारिसान

21-8-14

1. हेमलता विश्वकर्मा पत्नी महेश कुमार विश्वकर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नं-9 बिजुरी, मेन बाजार बिजुरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर म0प्र0

2. पुष्पलता विश्वकर्मा तनय गोकुल बढ़ई, निवासी ग्राम बिजुरी तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म०प्र०)

3. स्टेट आफ म0प्र0 द्वारा कलेक्टर अनूपपुर जिला अनूपपुर म0प्र0

-----गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 04.04.14 जो न्यायालय तहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 09/ए13/2013-14 मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-2774-दो/2014 जिला-अनूपपुर

सुरैया खातून विरूद्ध राधाबाई (मृतक) वारिसान- हेमलता विश्वकर्मा व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रमोद मिश्रा उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार कोतमा, जिला- अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक- 09/ए-13/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 04-04-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-08-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

23.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य